5 पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा आदेश 9 ता 350। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखवाया। जाकर शामिल मिसल किया गया। धारा 5 का प्रार्थना पत्र निरस्त होने से अपील म्याद बाहर होने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।